दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 21 फरवरी 2019 पूर्वाह्न 2:45 बजे और दिनांक 25 फरवरी 2019 अपराह्न 10:00 बजे, राज निवास, दिल्ली में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

<u>अध्यक्ष</u>

श्री अनिल बैजल,
उपराज्यपाल दिल्ली

<u>उपाध्यक्ष</u>

श्री तरुन कपूर

<u>सदस्य</u>

1. श्री के विनायक राव
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. श्री शैलेंद्र शर्मा
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
3. श्री के संजय मूर्ति
   अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
4. सदस्य सचिव
   एन सी आर पी.बी.
5. श्री विजेंद्र गुप्ता
   विधायक एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधानसभा के विपक्ष नेता
6. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
7. श्री एस के बग्गा, विधायक
8. श्री ओपी शर्मा, विधायक
9. श्री मनीष अग्रवाल,
   नगर निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

Scanned with CamScanner

सचिव

श्री डी सरकार
आयुक्त एवं सचिव,दि.वि.प्रा.

विशिष्ट अतिथिगण

1. श्रीमती रेनू शर्मा
   मुख्य सचिव (आई/सी), प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. डॉ.जी नरेंद्र कुमार,
   प्रधान सचिव (एल एवं बी), रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
3. श्रीमती वर्षा जोशी
   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
4. डॉ. दिलराज कौर,
   आयुक्त,पूर्वी दिल्ली नगर निगम
5. श्री एस सुरेंद्र
   मुख्य योजनाकर्ता, टी सी पी ओ
6. श्री मनीष कुमार गुप्ता,
   प्रधान आयुक्त (एल डी, एल एम, प्रणाली एवं समन्वय), दि.वि.प्रा.
7. श्री श्रीपाल,
   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भूदृश्यांकन), दि.वि. प्रा.

उपराज्यपाल सचिवालय

1. श्री विजय कुमार,
   उपराज्यपाल के प्रधान आयुक्त
2. श्रीमती चंचल यादव,
   उपराज्यपाल की विशिष्ट सचिव
3. श्री अनूप ठाकुर,
   उपराज्यपाल के निजी सचिव

I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/ अध्यक्ष, दि. वि. प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

Scanned with CamScanner

मद सं. 01/2019

दिनांक 14.12.2018 को राज निवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ. 2(2)2019/एम सी /डी डी ए

दिनांक 14.12.2018 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 02/2019

दिनांक14.12.2018 को आयोजित हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(3)2019/एम सी /डी डी ए

प्राधिकरण के सदस्यों ने दिनांक 14.12. 2018 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की।

श्री विजेंद्र गुप्ता

(i) हालांकि यह निर्णय लिया गया था कि बदरपुर ट्रेडर्स यूनियन को आवंटित की गई भूमि को प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा अब यह सूचित किया गया है कि संपत्ति का स्थाई पट्टा निर्धारित किया गया है। चूँकि व्यापारियों ने 50 वर्षों से अधिक समय से भूमि पर कब्जा किया हुआ है आता है भूमि के बदले आवंटन को सार्वजनिक हित में नियमित किया जाना चाहिए।

इस मामले पर श्री ओ.पी. शर्मा ने कहा की पट्टा विलेख शुरू करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और व्यापारियों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए।

श्री सोमनाथ भारती ने कहा कि हालांकि मामले की जांच को अलग रखा गया है, फिर भी जांच रिपोर्ट को जारी रखा जा रहा है।

चूँकि सभी माननीय सदस्य दि. वि. प्रा. से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए माननीय सदस्यों के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को सूचित किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

(ii) दि. वि. प्रा. कैडर के अधिकारियों द्वारा तदर्थ पदोन्नति अथवा वर्तमान इयूटीचार्ज प्रदान कर के मुख्य अभियंताओं के पदों में से 50% को भरने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के हित में दिल्ली विकास प्राधिकरण कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण कैडर से 50% पदों को भरा जाना चाहिए।

(iii) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति में शीघ्रता लाई जानी चाहिए और लंबित आवेदकों को समायोजित करने के लिए अनुकंपा के आधार पर रिक्त पद भरने का 5% कोटा बहुत कम है।

(iv) यह देखने के बजाय की रियायती दर पर एक अलग श्रेणी के रूप में धर्मार्थ संस्थानों को भूमि का आवंटन कैसे किया जाए, दि.वि.प्रा. ने पुराने प्रस्ताव को अस्वीकार/ रद्द कर दिया।

(iv) शैक्षिक भूमि उपयोग श्रेणी के प्लॉटों पर अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों की अनुमति के लिए पेनल्टी को कम करने पर विचार किया जाना चाहिए। दिल्ली सिक्ख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा चलाए जा रहे संस्थान के मामलों पर पिछली बैठकों में भी चर्चा हो चुकी है लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस मामले का समाधान नहीं किया है।

(v) इसके बावजूद चर्चा में, रामलीला में आवंटित बड़े क्षेत्र के लिए झूलों, खाद्य स्टोलों आदि पर प्रस्ताव को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(vi) रामलीला में झूला, खाद्य स्टोलों आदि के लिए एक बड़े क्षेत्र को आवंटित करने के लिए चर्चा के बावजूद प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(vii) दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्कूल के पट्टों की बहाली के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए, जहां पट्टे की शर्तों के उल्लंघन को हटा दिया गया है और एक बार क्षमा दान प्रदान किया जाना चाहिए।

(viii) परिसर के दुरुपयोग के लिए गाजीपुर पेपर मार्केट में पेपर व्यापारियों के लिए एक बार क्षमा योजना शुरू की जानी चाहिए चूँकि दि.वि.प्रा. पुराने बुनियादी नागरिक सुविधाएं नहीं दी हैं। दि.वि.प्रा. ने अतार्किक दंड लगाए हैं जिनका भुगतान वे नहीं कर सकते हैं।

Scanned with CamScanner

(ix) निदेशक (वित्त) के पद को आयुक्त स्तर पर अपग्रेड करने के मामलों में शीघ्रता लाई जानी चाहिए।

(x) नर्सरी स्कूल के लिए खाली पड़ी भूमि का उपयोग अस्थाई पार्किंग के लिए किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ भारती

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रोत्साहन अवसर प्रदान करके अपने कैडर को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(ii) चूंकि नीति पहले से ही विद्यमान है जिसके अनुसार जो प्लॉट नर्सरी स्कूल के लिए चिन्हित किए गए हैं, उनका उपयोग सार्वजनिक उपयोग हेतु किया जा सकता है। गौतम नगर अर्जुन नगर और मालवीय नगर में उपलब्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लॉटों का उपयोग इस तरह के उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।

(iii) ईदगाह पर पुराने बूचड़ खाने के स्थान पर स्कूल को आवंटित की जाने वाली भूमि को कम करने के कारण प्रदान किए जाएंगे।

(iv) माननीय उप राज्यपाल के निर्देशों के बावजूद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जानबूझकर खसरा नंबर 277 हौज खास के अनधिकृत निर्माण को गिराए जाने में विलंब किया और इस बीच प्रभावित पक्ष द्वारा कार्य रोकने के आदेश (स्टे ऑर्डर) प्राप्त कर लिए गए।

(v) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गौतम नगर में सामुदायिक सेवाओं हेतु भूमि के आवंटन के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किए गए अपने वचनबंध पत्र का सम्मान नहीं किया है।

श्री ओ.पी.शर्मा

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण को संस्थागत भूमि के व्यवसायिक उपयोग के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और उनके पट्टों को रद्द करना चाहिए।

(ii) प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उत्सव मैदान चिन्हित करने के स्थान पर, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया कि दिल्ली मुख्य योजना -2021 में उत्सव

Scanned with CamScanner

मैदान जैसी कोई शब्दावली नहीं है जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ही उत्सव मैदान विकसित करने की सहमति दी थी।

(iii) यदि रामलीला उसी रामलीला समिति के द्वारा पूर्व वर्ष के उसी क्षेत्र पर आयोजित की जाती है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रामलीला समिति को रामलीला के लिए भूमि आवंटित करने और अनुज्ञा प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) पट्टा विलेख के प्रकारों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्षानुवर्ष पट्टा विलेख का उल्लेख नहीं किया है, जिसमें यमुना बैंक के पट्टे भी शामिल हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण को पट्टा विलेखों के फ्री - होल्ड में परिवर्तन को समयबद्ध रीति से करना चाहिए।

(v) गाजीपुर पेपर मार्केट में शेष पेपर व्यापारियों को प्लॉटों का आवंटन किया जाना चाहिए।

(vi) अपने निर्वाचन क्षेत्र में 60 फीट मार्ग अधिकार पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में मामला उठाने और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश के बावजूद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया है।

(vii) ओखला में नदी के तल पर बहुमंजिला अनधिकृत निर्माण को हटाए जाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(viii) सैनी एनक्लेव, चित्रा विहार, राजधानी एनक्लेव और कड़कड़डूमा में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दुरुपयोग रोके जाने के लिए इन अनधिकृत वाणिज्यिक गतिविधियों को सील किया जाना चाहिए।

<u>श्री एस. के. बग्गा</u>

(i) यद्यपि यह सूचित किया गया है कि संबंधित अधिकारी उनके निर्वाचन क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत कब्जे की साइट दिखाने के लिए उनसे संपर्क करेगा, तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी ने उनसे संपर्क नहीं किया है।

Scanned with CamScanner

श्री मनीष अग्रवाल

(i) निजी पार्टियों द्वारा विवाह और अन्य कार्यों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि का दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता से अधिक प्रभार (ओवरचार्ज) लिया जा रहा है।

मद संख्या 03/2019

सैक्टर-9, द्वारका में 4000 वर्ग मीटर के प्लॉट के भूमि उपयोग का पी.एस.पी. से सरकारी कार्यालय में परिवर्तन, जिसे पहले भविष्य पी.एस.पी. के लिए निर्धारित किया गया था, आणविक ऊर्जा विभाग के कार्यालय परिसर में परिवर्तन किया जाना है।

एफ. 4(9)द्वारका/प्लानिंग/93/पार्ट फ़ाइल /वॉल्यूम III

एजेंडा मद में दिया गया प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 04/2019

योजना जोन - डी में आने वाले अफ्रीका एवेन्यू रोड, सफदरजंग रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली के सामने, पूर्व और पश्चिम कि ओर स्थित उत्तर रेलवे के 'एक्स' और 'जैड' प्लॉटों के लिए 'यातायात' (रेलवे परिचालन) से आवासीय में भूमि उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ20(06)2017/एम.पी.

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मामला आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने के लिए भेजा जाए।

मद संख्या 05/ 2019

भारतीय जनता पार्टी (राष्ट्रीय स्तर) को योजना क्षेत्र-डी में पढ़ने वाली 0.8860 हेक्टेयर (2.189 एकड़) क्षेत्रफल की पॉकेट-3 बी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में अपना पार्टी कार्यालय बनाने के लिए आवंटित भूमि को' 'आवासीय से सार्वजनिक और सार्वजनिक केंद्रों' में भूमि उपयोग का प्रस्तावित परिवर्तन

एफ20(15)/2015/ एम पी

मद में समाविष्ट गया प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।आपत्तियां /सुझाव मांगते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

Scanned with CamScanner

<u>मद संख्या 06/2019</u>

मिश्रित उपयोग विकास के अधीन दुरुपयोग के लिए दंड प्रभारों के संदर्भ में दिल्ली मुख्य योजना-2021 में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.3(10)2014/एमपी

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। आपत्तियां/ सुझाव मांगते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

<u>मद संख्या 07/2019</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में संस्थागत प्लाटों के लिए भूमि के प्रीमियम की दरें।

एफ.1(मिस.)2016/आई.एल

मद एजेंडा में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मामला आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदन के लिए और अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने के लिए भेजा जाए।

<u>मद संख्या 08/2019</u>

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणन के बाद वित्त वर्ष 2017-18 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखों का अंगीकरण।

एफ6(2)2018-19/अकाउंट्स(एम)वार्षिक/लेखा2017-18/दिल्लीविकास प्राधिकरण।

1. वर्ष 2017-2018 के लिए वार्षिक लेखे स्वीकार करते समय प्राधिकरण के कुछ सदस्यों ने एजेंडा के साथ संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सीएजी द्वारा बार-बार की गई आपत्तियों की ओर ध्यान दिलाया ।ये आपत्तियां मुख्य रूप से उपचित आधार पर नजूल की संपत्तियों के क्षति प्रभार के लेखाकरण से संबंधित और नजूल II का तुलन पत्र ना तैयार करने, विविध देनदार का समाधान, उपचित आधार पर लेनदेन का रिकॉर्ड ना रखने, इन्वेंटरी/अचल संपत्तियों के नियमित भौतिक सत्यापन से संबंधित हैं।
2. वित्त सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि अनधिकृत अधिभोगियो द्वारा कब्जा की गई नजूल I की संपत्तियों के समाधान के लिए संबंधित यूनिटों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन्वेंटरी/ अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन, नजूल

Scanned with CamScanner

भूमि रिकॉर्ड तैयार करने और विभिन्न देनदार के समयबद्घ तरीके से समाधान करने के लिए विभिन्न यूनिटों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ।वित सदस्य ने यह भी स्पष्ट किया कि लोक लेखा परीक्षा संस्थान को नजूल का तुलन पत्र का फॉर्मेट तैयार करने और नजूल II का तुलन पत्र तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया है ।नजूल II का तुलन पत्र वित्त वर्ष 2019-20 से तैयार किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि उपचित आधार पर लेखा तैयार करने के लिए इआरपी सिस्टम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। यह निर्णय लिया गया था कि इसके लिए समय सीमा और कार्य योजना तैयार की जाए।

3. उपर्युक्त निर्देशों के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण के वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखा जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया विकास प्राधिकरण द्वारा अभिपुष्ट किए गए।

<u>मद संख्या 09/2019</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण आचरण अनुशासन एवं अपीलीय विनियम 1999 के विनियम 33 के अधीन कार्यपालक अभियंता सिविल, श्री विक्रम कुमार द्वारा फाइल की गई दया अपील/ रिव्यू पिटिशन।

एफ.26(30)93/कार्यपालक अभियंता (विजिलेंस)-v/दिल्ली विकास प्राधिकरण

1. श्री विक्रम कुमार कार्यपालक अभियंता (सिविल) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण आचरण, अनुशासन एवं अपील वि नियम 1999 के नियम 33के तहत दया अपील/ रिव्यू पिटिशन उसकी अपील अस्वीकृत होने के लगभग 12 साल बीत जाने के बाद फाइल की है। प्राधिकरण द्वारा उक्त रिव्यू/ मर्सी पिटिशन पर चर्चा की गई और विस्तार में विचार विमर्श किया गया । प्राधिकरण ने यह पाया कि श्री विक्रम कुमार ततसमय के कनिष्ठ अभियंता (अब कार्यपालक अभियंता(सिविल) ने रिव्यू/ मर्सी पिटिशन में कोई नई सामग्री या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो रिव्यू के अधीन आदेश पारित करते समय प्रस्तुत ना किया गया हो या उपलब्ध ना हो और जिसका मामले के स्वरूप को बदलने पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

2. उपर्युक्त को देखते हुए श्री विक्रम कुमार द्वारा फाइल की गई रिव्यू/ मर्सी पिटिशन को अस्वीकृत किया जाता है और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लगाया गया दंड

Scanned with CamScanner

वही रहेगा ।तदनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के आचरण, अनुशासन एवं अपील विनियम 1999 के विनियम 33 के अधीन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत उनकी रिव्यू पिटिशन निपटा दी गई मानी जाती है।

मद संख्या 10/2019

दिल्ली में ट्रांस ओरिएंटेडट डेवलपमेंट के लिए ड्राफ्ट नीति दिल्ली मुख्य योजना 2021 के संशोधन के रूप में।

एफ 20(7)2015/एमपी

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।आपत्तियां/ सुझाव आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

मद संख्या 11/ 2019

दिल्ली में ट्रांस ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए ड्राफ्ट विनियम

एफ.20(7)2015/एमपी/part.II

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। व्यापक भागीदारी और पारदर्शिता के लिए जनता सेआपत्तियां/ सुझाव आमंत्रित करते हुए 30 दिन के लिए विनियमों को पब्लिक डोमेन में रखा जाए।

मद संख्या 12/2019

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार आम जनता और व्यवसायियों के व्यापक संदर्भ के लिए यूबीबीएल-2016 में संशोधनों की अधिसूचनाओं के संकलन की पुनः अधिसूचना।

एफ.15(06)2016/एमपी/पीटी

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 57 के अधीन एकीकृत भवन उपनियम 2016 (यू बीबीएल 2016) में किए गए संशोधन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भेजें जाएं। उसके बाद व्यापक संदर्भ के लिए यू बी बी एल -2016 में संशोधनों की अधिसूचना का

Scanned with CamScanner

संकलन उपर्युक्त संशोधनों को शामिल करने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

<u>मद संख्या 13/2019</u>

दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 5-क के अधीन एसटीएफ समिति का गठन ।

एफ15(03)2019/एमपी

एजेंडा मद में दिया गया प्रस्ताव निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार एसटीएफ के सदस्यों के साथ-साथ अधिसूचना में सहयोजित सदस्यों को भी शामिल किया जाए ।

दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 57 के तहत आवास एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदना भेजा जाए।

<u>मद संख्या 14/2019</u>

दिल्ली में पैदल चलने को बढ़ावा देने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी

एफ.1(331)2018/यूटीटीआईपीईसी

एजेंडा मद में दिया गया प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। व्यापक भागीदारी और पारदर्शिता के लिए ये विनियम जनता के विचार/ सुझाव 3 सप्ताह के लिए यह भी नियम पब्लिक डोमेन में रखे जाएं।

<u>मद संख्या 15/2019</u>

कर मांग के संबंध में आयकर विभाग को 884.15 करोड़ रुपए और शिवाजी एंक्लेव में स्थित 772 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की खरीद के लिए डी एल एफ को 75.30 करोड़ रुपए के आपात /अपरिहार्य भुगतान के संबंध में

एफ.6(04)/2017-18/लेखा(एम)/पार्ट.II

Scanned with CamScanner

1. कर मांग के संबंध में आयकर विभाग को 884. 15 करोड रुपए और शिवाजी एनक्लेव में स्थित 772 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की खरीद के लिए डीएलएफ को 75.30 करोड़ रुपए के आपात /अपरिहार्य भुगतान पर चर्चा करते हुए प्राधिकरण के सदस्यों ने यह कहा कि उपर्युक्त आपात भुगतान के संबंध में प्राधिकरण को देर से सूचित किया गया और उन्होंने यह निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसे मामलों में मामले को तुरंत प्राधिकरण की जानकारी में लाया जाए।
2. उपर्युक्त निर्देश के साथ प्राधिकरण के सदस्य ने वर्ष 2017-18 के दौरान आपात/ अपरिहार्य भुगतान के संबंध में स्थिति को नोट किया।

<u>मद संख्या 16/2019</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण(आवास संपदा का प्रबंधन और निपटान), 1968 में संशोधन।

एफ.1(380)/2018/समन्वय ।

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मामले को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अधीन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जाए।

<u>मद संख्या 17/ 2019</u>

वर्ष 2018-19 के संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान

एफ.4(3)बजट/2018-19/आरबीआई

1. वित्त वर्ष 2018- 2019 के संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2019 -20 के बजट अनुमानों पर चर्चा की गई ।
2. विधिवत विचार विमर्श के बाद वर्ष 2018 -19 के संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

<u>मद संख्या 18/2019</u>

ईडब्ल्यूएस जनता फ्लैटों की लागत के लिए प्रयुक्त पैरामीटरों की समीक्षा।

एफ.21(2131)/एचएससी/2019/दिल्ली विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 19/2019

37400 -67000 ₹ के पे बैंड 4 तथा 10,000 के ग्रेड वेतन(सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 में संशोधित) में आयुक्त योजना के पद के लिए भर्ती नियमों में छूट एफ.7(206/2016)/योजना/ प्रतिनियुक्ति/ पी बी-I

एजेंडा मद को आस्थगित किया गया।

मद संख्या 20 /2019

'कड़कड़डूमा कोर्ट कंपलेक्स का विस्तार' के संदर्भ में 'लेआउट प्लान एफ सी -17 (संशोधित)' नाम से लेआउट प्लान में संशोधन

एफ. 3(76)/ 99/ एमपी

एजेंडा मद दिया गया प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 21/ 2019

आवास योजना 2014 और आवास योजना 2017 के एल आई जी/ वन बैडरूम के आवटीतियो को रियायत दी जाए ।रखरखाव के लिए प्राप्त प्रभारों का 50% वापस करना

एफ.1(372)/ 2018 समन्वय(एच)/पार्ट II

एजेंडा में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या 22 /2019

आवास योजना 2014 और आवास योजना 2017 के एलआईजी /वन बैडरूम के आबंटितियों को रियायत दी जाए। समामेलन के प्रयोजन के लिए समीपवर्ती खाली प्लॉट का आवंटन

एफ .1(372)/2018/समन्वय/ पार्ट 2

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया

मद संख्या 23 /2019

Scanned with CamScanner

आवास योजना (ऑनलाइन स्कीम) 2019 का आरंभ

एफ.1(385)/2019/समन्वय (एच)

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

<u>मद संख्या 24/ 2019</u>

शिवाजी मार्ग पर ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की लागत के संबंध में

एफ.2 (07)/ 2017 ईडब्ल्यूएस पार्ट

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

<u>मद संख्या 25 /2019</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण(आवास संपदा का प्रबंधन और निपटान विनियम) 1968 में संशोधन

एफ. 1(380)/2018/समन्वय (एच) पार्ट

एजेंडा मद में समाविष्ट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं. 26/2019</u>

का.आ. सं.3027 (ई) दिनांक 21 जून, 2018 के अन्तर्गत अधिसूचित नीति के कार्यानवयन हेतु गैर-अनुरूप क्षेत्रों में गोदाम क्लस्टरों के पुनर्विकास के लिए प्रभारों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव

एफ.5.(1)2019/एओ(पी) /डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं. 27/2019</u>

कड़कड़डूमा, दिल्ली में ईस्ट दिल्ली हब (ईडीएच) का विकास

सीई (ईजैड/9(35)2017/ईडीएच/डीडीए

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनुमोदित किया गया:

Scanned with CamScanner

i) दि.वि.प्रा. सुनिश्चित करे कि अतिक्रमण से वापिस प्राप्त की गई भूमि संरक्षित हो।

ii) प्रस्तावित स्थल के अन्दर और समीपस्थ सभी अतिक्रमणों को हटाया जाए।

iii) प्रस्ताव के संबंध में एन बी सी सी द्वारा ट्रैफिक स्टडी की जाए जिसमें आनन्द विहार के निकट रेलवे ट्रैक के साथ नए रोड की व्यवहार्यता का पता लगाया जाए।

माननीय प्राधिकरण सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य बिन्दु

<u>श्री विजेन्दर गुप्ता</u>

i) दि.वि.प्रा. दि.न.नि. को कमी प्रभार का भुगतान करें।

ii) दि.वि.प्रा. अपने अस्थायी कार्यालय को कीर्ति नगर से स्थानान्तरित करने और वांछित उद्देश्य हेतु भूमि की नीलामी करने के लिए समय सीमा प्रदान करे।

iii) दि.वि.प्रा. एक समयबद्ध तरीके से अपने प्रशासन और कार्याविधि के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के साथ ई-गवर्नेंस लागू करे।

iv) रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा समय पर पौधारोपण की अनुमति नहीं दी जाने के कारण सड़कों में सुधार और चौड़ा करने के कार्य में देरी हो रही है, जैसे की महिपालपुर।

<u>श्री सोमनाथ भारती</u>

i) दि.वि.प्रा. जिला पार्कों में उच्चे खम्भों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने पर विचार करे।

ii) मार्बल व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए नीति तैयार की जाएगी क्योंकि उनके परिसर अभी भी सील हैं।

Scanned with CamScanner

iii) अधचीनी स्थित दि.वि.प्रा. समुदायिक हॉल का मरम्मत की जाए क्योंकि यह जीर्णशीर्ण अवस्था में है।

iv) दि.वि.प्रा. की सलाहकार परिषद् के सदस्यों और सलाहकार परिषद् की बैठकों का विवरण उपलब्ध कराया जाए।

श्री ओ.पी.शर्मा

i) यद्यपि दि.वि.प्रा. ने कल्याण मण्डपम् के निर्माण की संकल्पना बना ली है, तथापि इनका अभी तक निर्माण नहीं किया जा सका। यदि ये निर्मित हो गए होते तो इनका उपयोग विविध आयोजनों के लिए किया जा सकता है।

ii) बहुत ज्यादा फीस वसूल करने वाले उन चैरिटेबल ट्रस्टों के विरूद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्हें अस्पताल और स्कूल चलाने के लिए नाममात्र लागत पर भूमि आबंटित की गई थी।

iii) यह आशा की जाती है कि प्राधिकरण सदस्यों को उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित किसी भी बड़ी परियोजना के शुरूआती चरण से ही अवगत कराया जाए।

श्री मनीष अग्रवाल

i) वसंत कुंज स्थित उपलब्ध स्थल पर एक लघु खेल परिसर विकसित किया जाए।

ii) चिराग दिल्ली में पार्किंग के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि को इसके लिए स्थायी रूप से आबंटित किया जाए।

iii) रोहिणी और पीतमपुरा में दि.वि.प्रा. प्लाटों की बुकिंग टैंट माफिया द्वारा नकली नामों द्वारा की जा रही है और दि.वि.प्रा. अधिकारी इसमें शामिल हैं।

iv) माननीय सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर दि.वि.प्रा. द्वारा जवाब नहीं दिया जाता।

Scanned with CamScanner

v) लुप्त फाईलों के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की जाए।

vi) दि.वि.प्रा. फ्री होल्ड कन्वर्जन के लिए ऑनलाईन प्रणाली शुरू करे।

vii) दि.वि.प्रा. को दि.वि.प्रा. भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में सूचना प्रदान किए जाने के बाद भी इसे हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

viii) दिल्ली पुलिस को वैकल्पिक स्थल आबंटित किया जाए और सी-ब्लॉक, वसंत स्थित भूमि जिस पर दिल्ली पुलिस की अस्थायी बिल्डिंग निर्मित है उसका पार्किंग के लिए उपयोग किया जाए।

माननीय उपराज्यपाल ने निदेश दिया है कि प्राधिकरण बैठकों के एजेंडा मदो के समय पर परिचालित किया जाए और प्राधिकरण बैठकों को प्रत्येक माह नियमित रूप से आयोजित किया जाए।

माननीय उप राज्यपाल ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों विशिष्ट आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

सभापति को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

Scanned with CamScanner